निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 107/2016
दायरा दिनांकः–14.09.2016
निर्णय दिनांकः– 28.8.24

उनवान

1. रामकिशन आयु 70 वर्ष पुत्र कजोड जाति चमार निवासी मूण्डला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामकिशन पुत्र कजोड आयु 60 वर्ष जाति बैरवा निवासी मंडोला तहसील व जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 28.8.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अशोंक कुमार मेहता – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम मूण्डला तहसील छबडा में कृषि आराजी खाता संख्या नयी खसरा नम्बर 62 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा एवं पुरानी 81 खसरा नम्बर 102 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा कृषि आराजीयात अवस्थित है। जिसका वादी खातेदार कृषक है। मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि आराजीयात वादी को दिनांक 17.12.1982 को भू0राज0 अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आवंटित कर दिनांक 22.12.1982 को वादी वादी को दखल एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से वादी मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि आराजी का खातेदार काश्तकार है एवं कृषि आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी वृद्ध असहाय होने से गांव के राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया तथा एक वाद 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम में वाद संख्या 1/15 रामकिशन बनाम रामलाल वगै0 तहसीलदार छबडा के यहां दुसरे रामकिशन के द्वारा प्रस्तुत करवा दिया ताकि कृषि आराजीयात विवादित बनी रहे एवं वादी को कभी भी कब्जा प्राप्त नही हो सके। जब इस बाबत् वादी को पता चला तो वादी ने दिनांक 30.05.2016 को तहसीलदार छबडा के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर असली रामकिशन को पहचान कर उचित व्यक्ति को कब्जा सुपुर्द करने का विनय किया। तहसीलदार छबडा ने मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि आराजीयात का अंतिम तोर पर विचारण करतें हुएें दिनांक 10.06.2016 को पटवारी हल्का मूण्डला को ओदशित किया कि असली रामकिशन की पहचान कर मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि आराजीयात का कब्जा सुपुर्द किया जावे। तहसीलदार की आदेश की पालना व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उचित विधिक प्रक्रिया के अनुसरण किये बिना पटवारी हल्का मूण्डला ने दोनो रामकिशन कृषि आराजीयात पर कब्जा लेने हेतु तैयार है बता कर रिपोर्ट तहसीलदार के यहां रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रामकिशन पुत्र कजोड जाति बैरवा निवासी मंडोला (छापर) तहसील व जिला बारां राज0 के असल दस्तावेज व अन्य न्यायिक प्रक्रिया का भी पटवारी हल्का मूण्डला द्वारा नजर अन्दाज किया गया है। वादी द्वारा अनेक बार तहसील हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 तहसील हाजा में कृषि आराजीयात व स्वंय के बारे में किसी प्रकार के दस्तावेज के साथ उपस्थित नही हुआ है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय तलवाना दिनांक 02.05.2016 को रामकिशन पुत्र कजोड मंडोला छापर पेश करने पर भी तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नही लाये जाने पर माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 21.10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल आवटन आदेश दिनांक 17.12.1982 नकल दखल नामान्तरण आबादी दिनांक 22.12.1982 नकल प्रार्थना पत्र धारा 183 न्यायालय तहसीलदार छबडा उनवान रामकिशन बनाम रामलाल नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 90 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2068–71 नकल नामान्तरण संख्या 181 ग्राम मूण्डला नकल तहसीलदार छबडा का पत्र दिनांक 15.06.2016 नकल राशन कार्ड नकल आधार कार्ड पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 रामकिशन, कन्हैयालाल, बाबूलाल, हेमराज प्रतापी बाई शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है विवादित आराजी वाके ग्राम मूण्डला तहसील छबडा में स्थित है। जिसका वादी खातेदार कृषक है वादी को दिनांक 17.12.1982 को भूमि आवंटित की गई थी। तथा दिनांक 22.12.1982 को दखल एवं कब्जा सुपूर्द कर दिया था। तब से वादी उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी वृद्ध होने से गांव के राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया। दुसरे रामकिशन के द्वारा एक वाद तहसीलदार छबडा के यह धारा 183 बी का रामकिशन बनाम रामलाल प्रस्तुत करवा दिया ताकि भूमि विवादित बनी रहे तथा वादी को कभी कब्जा प्राप्त नही हो सकें। दिनांक 30.5.2016 को तहसीलदार छबडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी रामकिशन की पहचान कर उचित व्यक्ति को कब्जा सुपुर्द करने का निवेदन किया तहसीलदार छबडा ने हल्का पटवारी मूण्डला को निर्देशित किया गया कि उसकी रामकिशन की पहचान कर भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया जावे। हल्का पटवारी मूण्डला द्वारा दोनो रामकिशन भूमि कब्जा लेने हेतु तैयार है बता कर रिपोर्ट तहसीलदार को दी गई। प्रतिवादी क्रम 1 कृषि भूमि व स्वंय के बारे में किसी प्रकार के दस्तावेजो के साथ उपस्थित नही हुआ। विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रतिवादी रामकिशन को विवादित भूमि ना तो आवटंन हुई और ना ही दखल दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जवाब भी पेश नही किया है वादी का वाद स्वीकार कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल आवटंन आदेश दिनांक 17.12.1982 एंव नकल दखल नामान्तरण ऐलोटी दिनांक 22.12.1982 के अनुसार रामकिशन पुत्र कजोड जाति चमार निवासी मूण्डला को आवटंन किया गया। जिसका दखल देकर भूमि सुपुर्द की गई। नकल वाद पत्र न्यायालय तहसीलदार छबडा उनवान रामकिशन बनाम रामलाल वगै0 के अनुसार धारा 183 बी का पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण का भूमि पर कब्जा होना बताया नकल जमाबन्दी ग्राम मूण्डला सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 90 में रामकिशन पुत्र कजोड का नाम दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 181 ग्राम मूण्डला के अनुसार आवटंन के आधार पर आवंटी के नाम गेर खातेदारी का नामान्तरण खोला गया तहसीलदार छबडा द्वारा भू–अ0निरिक्षक मूण्डला एवं पटवारी हल्का मूण्डला को पत्र जारी कर प्रकरण संख्या 1/15 धारा 183 बी में दिनांक 07.09.2015 को रामकिशन पुत्र कजोड चमार को कब्जा देने के आदेश दिये गये इससे यह साबित होता है कि दोनो रामकिशनों का भूमि पर कब्जा काश्त नही है वादी रामकिशन का भूमि पर कब्जा साबित नही है इसलिए अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट के तहत अनुतोष अनुज्ञेय नही है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 107/2016	धारा 183 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 28.8.24
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अशोक कुमार मेहता–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रामकिशन आयु 70 वर्ष पुत्र कजोड जाति चमार निवासी मूण्डला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामकिशन पुत्र कजोड आयु 60 वर्ष जाति बैरवा निवासी मंडोला तहसील व जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.8.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		